P.No-OSH 07/06/20..

अनुसूची–14 फर्न सं0–562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम– 129)

आदेश – पत्रक– ता0 .... से ....तक ।

जिला–गढ़वा विविध वाद सं0...36.... /2019–20

केश का प्रकार– जमाबंदी विनियमतिकरण करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	698 दि0:19.08.2019	3
22/8/19	उप समाहर्त्ता, गढ़वा के पत्रांक–[redacted] द्वारा प्राप्त पत्र में संलग्न आवेदन में आवेदक श्री अशोक कुमार गुप्ता पिता–श्री नारायण प्रसाद ग्राम–सोनपुरवा द्वारा आवेदन दिया गया हैं कि ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–84 प्लॉट संख्या–282 अन्य रकवा–47.06 एकड में से प्लॉट संख्या–282 रकवा–26.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ मालिक भूमि है। उक्त भूमि का तत्कालीन जमीनदार श्रीमती दुलहील फलराज कुंवर पति–बाबु रघुवीर नारायण सिंह द्वारा वर्ष–1940 को विक्रय पत्र संख्या–2307 से रामभजन मिस्त्री वो राजजतन मिस्त्री पिता–गजाधर मिस्त्री को विक्री किया गया हैं। उक्त जमीन को राजभजन मिस्त्री वो रामजतन मिस्त्री ने विक्रय पत्र संख्या–709 वर्ष–1948 को खाता संख्या–84 प्लॉट संख्या–282 एवं अन्य रकवा–47.06 एकड़ भूमि मे से नारायण प्रसाद को 23.53 एवं भागवत प्रसाद को 23.53 एकड भूमि आपसी बंटवारा कर बिक्री कर दिया गया है जिसमे बाद से आज तक लगान रसीद निर्गत हो रहा है तथा शांतिपूर्व दखल–कब्जा हैं। उक्त भूमि को निबंधन कराने से रोक लगा दी गई है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि को विनियमतिकरण करने का अनुरोध किया गया हैं। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्रश्नगत भूमि का जांच प्रतिवेदन के मांग करें। 22/8/19 अंचल अधिकारी, गढ़वा	
15.12.2019	अभिलेख उपास्थापित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया हैं कि ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–84 प्लॉट संख्या–282 गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है ग्राम सोनपुरवा के केवाला नं0 2307 दिनांक–13.11.1940 ई0 को भूतपूर्व जमीन्दार श्रीमती दुलहीन फलराज कुंवर पति–बाबु रघुवीर नारायण सिंह द्वारा श्रीराम भजन मिस्त्री वो रामजतन मिस्त्री पेशरान गजाधर मिस्त्री जाति लोहार के खाता नं0 84 प्लॉट संख्या–282 रकवा–26.00 एकड़ के साथ अन्य प्लॉट सहीत 47.06 एकड भूमि का बिक्री किया गया था खरीदगी के बाद रामजतन मिस्त्री वो रामभजन मिस्त्री पिता–गजाधर मिस्त्री द्वारा केवाला नं0 709 दिनांक–13.02.1948 ई0 को नारायण प्रसाद वल्द नकछेदी राम वो भागवत प्रसाद वल्द रामा राम जाति वैश्य रौनियार को ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–84 प्लॉट संख्या–282 रकवा–13.00 एकड़ के साथ अन्य खाता वो प्लॉट सहीत 23.53 एकड़ भूमि बिक्री किये हैं। वर्तमान में मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–70/2 पर नारायण दास पिता–नकछेदी राम के नाम से खाता संख्या–84 प्लॉट संख्या–282 सहीत रकवा–18.90 एकड भूमि का मांग चल रहा है इस मांग का लगान रसीद भूतपूर्व जमीन्दार से लेकर 2013–14 तक निर्गत है। जिसका छायाप्रति संलग्न है। उपरोक्त भूमि पर मांगधारी के वंशज का दखल–कब्जा है आवेदक का आवेदित भूमि गैरमजरूआ भूमि है। जिसपर निबंधन पर रोक लगा हुआ है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा सभी राजस्व कागजातो एवं आवेदक के दखल–कब्जा के आधार पर सरकारी प्रावधान के अनुसार विनियमतिकरण करने का प्रतिवेदित किया गया है।	

Scanned with CamScanner

अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–84 प्लॉट संख्या–282 रकवा–23.53 एकड़ भूमि गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है जिसका मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–70/2 पर चलता हैं। सरकार प्रावधान के अनुसार विनियमतिकरण किया जा सकता है।

जांच प्रतिवेदन की अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत भूगि के संबंध में ठोस मंतव्य नही दिया गया है। प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि राजस्व कागजातो की अवलोकन एवं अमीन से स्पष्ट दखल–कब्जा प्रमाणपत्र के पश्चात सरकारी प्रावधान के अनुसार विनियमतिकरण करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्र के आलोक में राजस्व कागजात की जांच करते हुए एवं स्थल पर दखल–कब्जा की जांच करते हुए स्पष्ट मंतव्य दें। यदि वैध हो तो अनुशंसा दे या निरस्त करने का स्पष्ट कारण दें।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

Scanned with CamScanner

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
3/2/2020	आवेदक श्री अशोक कुमार गुप्ता से प्राप्त आवेदन पर राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच में पाया गया कि ग्राम सोनपुरवा के खाता सं0–84 प्लॉट 282 गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। जिसे केवाला संख्या–2307 दिनांक–13.11.1940 ई0 को भूतपूर्व जमीनदार श्रीमती दुहलीन फलराज कुंवर पति बाबु रघुवीर नारायण सिंह द्वारा श्रीराम भजन मिस्त्री वो रामजतन मिस्त्री पिता गजाधर मिस्त्री जाति लोहार को खाता संख्या–84 प्लॉट संख्या–282 रकबा 26.00 एकड़ के साथ अन्य प्लॉट सहित 47.00 एकड़ भूमि बिक्री किया गया था। खरिदगी के बाद रामजतन मिस्त्री वो रामभजन मिस्त्री पिता गजाधर मिस्त्री द्वारा केवाला न0 709 दिनांक–13.02.1948 को नारायण प्रसाद वल्द नकछेदी राम वो भगवान प्रसाद वल्द रामाराम वैश्य रौनियार को ग्राम सोनपुरवा के खाता सं0–84 प्लॉट 282 रकबा 13.00 एकड़ के साथ अन्य खाता एवं प्लॉट सहित 23.53 एकड भूमि बिक्री किये है। वर्तमान में मांग पंजी 2 के पेज 70/2 पर नारायण दास पिता नकछेदी राम के नाम से खाता सं0–84 प्लॉट 282 सहित रकबा 18.90 एकड भूमि का मांग चल रहा है। इस मांग में निर्गत निम्नांकित लगान रसीदों को आवेदक के द्वारा छाया प्रति समर्पित किया गया है। उपरोक्त भूमि पर मांगधारी के वंशज का दखल–कब्जा है। आवेदक द्वारा सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड–राँची के पत्रांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)–123/2016– 2861/रा0 दिनांक–08.06.2017 में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्राम– सोनपुरवा के खाता सं0–84 प्लॉट सं0 282 रकबा 18.90 एकड गैरमजरूआ भूमि के मांग विनियमतीकरण करने का अनुरोध किया गया है। विभागीय परिपत्र में निर्देश है कि ऐसे मामले जिनमे 01.01.1946 से पूर्व पंजीकृत डीड/इन्स्ट्रूमेंट से गैरमजरूआ मालिक भूमि का अंतरण/बंदोबस्ती भूतपूर्व जमींदार द्वारा किया गया हो तथा तदनुसार बंदोबस्ती की तिथि से 1956 के पूर्व तक भूतपूर्व जमींदारी रसीद निर्गत होती रही हो एवं तदोपरांत 1956 से लगातार उक्त जमाबंदियों में रसीद निर्गत नहीं करने की अवधि तक सरकारी लगान रसीद निर्गत होती रही हो, साथ ही जिन मामलों में समीक्षा के दौरान यह दृष्टिगोचर हो कि भूतपूर्व जमींदार ने निबंधित दस्तावेज से 01.01.1946 के पूर्व जिस रैयत के साथ भूमि की बंदोबस्ती की थी, परन्तु उसने 1955–56 के पूर्व भूमि का हस्तांतरण निबंधित दस्तावेज से किसी रैयत को कर दिया हो, वैसे मामलों में भू–हस्तांतरण से संबंधित निबंधित दस्तावेज 1955–56 के पूर्व भूमि क्रेताओं के नाम भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदें तथा 1955–56 के बाद क्रेता को लगातार निर्गत सरकारी रसीदें एवं उक्त निबंधित दस्तावेज से क्रमानुसार हस्तांतरित दखल–कब्जों का सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसे मामलों को अंचल अधिकारी एक सप्ताह के अंदर चिन्हित् कर लेंगे एवं उपलब्ध निबंधित दस्तावेज (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी II में संधारित संबंधित भूमि की जमाबंदी से सत्यापन करते हुए अनियमित/संदिग्ध जमाबंदियों के पहचान के क्रम में खोले गए उक्त जमाबंदी के वाद अभिलेख (Case Record) के आदेश फलक में अपना सुस्पष्ट तार्किक निष्कर्ष (Logical finding) अंकित करेंगे एवं जमाबंदी का संधारण नियमानुसार नियमित करने योग्य पाये जाने पर उक्त के संबंध में आदेश पारित करते हुए ऐसे जमाबंदियो के विनियमितीकरण का प्रस्ताव अनुशंसा सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता को भेजेंगे। अतः विभागीय निर्देश एवं राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन और आवेदक के द्वारा समर्पित राजस्व कागजातों के आलोक में उक्त भूमि के जमाबंदी के नियमितिकरण की कार्रवाई की जा सकती है।	

adesh patrak letter 2018

Scanned with CamScanner

क्रमांक	निर्गत रसीद संख्या	निर्गत तिथि	अवधि जिसके लिए निर्गत है।
1.	जमीनदारी रसीद सं0–11	दिनांक–13–संवत् 1392	–
2.	जमीनदारी रसीद सं0 40	दिनांक–20 माघ संवत् 1359	1953–1958
3.	856906	10.09.1957	1957–1958
4.	378022	06.08.1959	1559–1960
5.	457526	21.10.1960	–
6.	618262	20.12.1967	20.12.1967
7.	450680	07.10.1968	1968–1969
8.	896377	12.12.1969	1969–1970
9.	725005	14.02.1972	1971–1972
10.	419308	03.03.1972	1971–1972
11.	149148	09.02.1973	1972–1973
12.	108363	25.02.1973	1972–1973
13.	564654	30.12.1973	1973–1974
14.	125534	24.02.1974	1973–1974
15.	196946	03.01.1975	1974–1975
16.	035146	21.02.1976	1975–1976
17.	092068	20.12.1976	1976–1977
18.	674523	10.03.1978	1977–1978
19.	545369	17.02.1979	1978–1979
20.	561200	02.12.1985	1985–1986
21.	9017381	07.05.2002	1991–1992 से 2002–2003
22.	6473321	28.07.2013	2003–2004 से 2013–2014 तक

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

Scanned with CamScanner